उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 251/IX–1/90/2016/2018–अधिसूचना संख्या 1400/IX–1/2016/90/2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 तथा अधिसूचना संख्या–1179/IX–1/2016/90/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को अवक्रमित करते हुए, निम्नानुसार सड़क सुरक्षा हेतु लीड एजेन्सी के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र सं0	पदनाम	प्रास्थिति	भर्ती का स्रोत
1.	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष	पदेन
2.	अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड	सदस्य	पदेन
3.	वित्त नियन्त्रक, परिवहन मुख्यालय	सदस्य	पदेन
4.	सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
5.	सहायक निदेशक, आधुनिकीकरण	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
6.	लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता, जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से निम्न स्तर के न हों	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
7.	पुलिस विभाग के उप अधीक्षक/सीओ, जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से निम्न स्तर के न हों	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
8.	शहरी विकास विभाग के अधिकारी, जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से निम्न स्तर के न हों	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर
9.	शिक्षा विभाग के अधिकारी, जो ग्रेड वेतन ₹ 5,400 से निम्न स्तर के न हो	सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर

2. उक्त सड़क सुरक्षा हेतु गठित लीड एजेंसी के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार स्टॉफ के पदों की भी परिवहन विभाग के सृजित ढाँचे के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यरत् मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हे पृथक से कोई अतिरिक्त भत्ता/वेतन प्रदान नहीं किया जायेगा:–

(1) प्रशासनिक अधिकारी 01 पद

(2) प्रधान सहायक 01 पद

(3) कनिष्ठ सहायक सह टंकण 02 पद

(4) अनुसेवक 01 पद

3. उक्त लीड एजेन्सी द्वारा निम्नवत् कार्यों का सम्पादन किया जायेगाः–

(1) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के सचिवालय के रूप में कार्य करना, परिषद् की बैठकों का प्रबन्धन करना, बैठक के कार्यवृत्त जारी करना एवं बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन कराना।

(2) मा0 सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराने हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बनाना, आदेशों का क्रियान्वयन कराना और उसकी रिपोर्ट समिति को प्रेषित करना।

(3) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन कराना।

(4) सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना, वार्षिक कार्य–योजना बनाना तथा उसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

(5) राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का निरन्तर डाटा एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए, आवश्यक कार्यवाही कराना।

(6) राज्य सड़क सुरक्षाकोष का प्रबन्धन करना।

(7) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यों का अनुश्रवण करना।

(8) राज्य सड़क सुरक्षा नीति के प्राविधानों का क्रियान्वयन कराया जाना।

(9) सड़क सुरक्षा सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

4. लीड एजेन्सी में तैनात कार्मिकों का वेतन लीड एजेन्सी में कार्यालय व्यय/वेतन व्यय से प्रदान किया जायेगा।

5. लीड एजेन्सी में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की सम्बन्धित अवधि की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अध्यक्ष/परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अंकित की जायेगी।

आज्ञा से,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 30–06–2018, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03/परिवहन/415–20–07–2018–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।